न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 21/2018

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

1. कानाराम पुत्र श्री आशाराम, उम्र 52 वर्ष, जाति पटेल स्वंय बतौर प्रतिनिधि सभी ग्रामवासी सोनाईलाखा तहसील रोहट जिला पाली।
2. राजा उर्फ राजाराम पुत्र श्री आशाराम, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम सोनाईलाखा तहसील रोहट जिला पाली।

1. श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला पाली, पाली।
2. श्रीमान सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी महोदय तहसील रोहट, जिला पाली।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तह. रोहट, जिला पाली।
4. श्रीमान पटवारी महोदय, ग्राम सोनाईलाखा, पटवार हल्का डूंगरपुर, तह. रोहट, जिला पाली।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, सोनाईलाखा तह रोहट।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मुकेश शर्मा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से
रेस्पोडेन्ट संख्या 05 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक: 25.03.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक:एफ.12(3)(20)राज./18/2827 दिनांक 21.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सर्वप्रथम वकील अपीलांट की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी पर सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला कलक्टर पाली द्वारा अन्तर्गत धारा 92 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सोनाईलखा के खसरा संख्या 184 रकबा 53.04 बीघा में से 10.00 बीघा आराजी खेल मैदान हेतु आंवटित की गई है। किन्तु विधालय खसरा संख्या 150 के पर स्थित है। खसरा संख्या 150 एवं खसरा संख्या 184 में दूरी होने के कारण ग्रामवसियों के बच्चे जो कि विधालय में अध्यन्तरत है उन्हे समस्याओं का सामना करना पडेगा। एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 उक्त आराजी पर बतौर कब्जाधारी होकर काश्तकार है किन्तु उक्त आराजी का आवंटन खेल मैदान हेतु होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सीधा प्रभावित हैं। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर उक्त दोनो पक्षकारो को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 01 एवं 02 उक्त आवंटन से किसी भी प्रकार से पीडित नहीं है। एवं न ही उक्त आवंटन से इनका कोई हित जुडा हुआ है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 01 न ही उक्त गांव का संरपच है एवं न ही किसी संवैधानिक पद पर पदासीन है। एवं न ही अपीलांट संख्या 01 का कोई वारिसान सम्बधित विधालय में अध्ययनतरत है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 01 उक्त आंवटन से किसी प्रकार से पीडित नहीं है एवं न ही हितबद्ध पक्षकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को सुना जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अपीलांट संख्या 02 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट संख्या 02 बतौर काश्तकार काबिज है। एवं कई वर्षो से उक्त आराजी पर काश्त करता आ रहा है। एवं उससे पूर्व उनके पिता वर्ष 1955 से उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। एवं इनके नाम से राज्य से राज्य सरकार द्वारा खसरा परिवर्तनशील जमा निर्धारण भी वर्ष 1955 से जारी सुदा है। उक्त आराजी के संबध रेस्पोडेन्ट संख्या 02 पर 91 की कार्यवाही भी की गई है। उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा केवल फर्जी रिर्पोट बनाकर उक्त आराजी के संबध में खेल मैदान आवंटन हेतु अनुषंशा की है। जबकि खसरा संख्या 184 एवं खसरा संख्या 150 जहां

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विधालय बना हुआ है उक्त खसरो में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। खसरा संख्या 150 में रकबा 29 बीघा आराजी खाली पडी है। जो कि खेल मैदान हेतु ज्यादा सुविधाजनक होगी। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावे। एंव राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय सोनाईलाखा हेतु परिस्थितियों के अनुकूल खेल मैदान हेतु आराजी आवंटित कराने को आदेश प्रदान करावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकीय भूमि दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 उक्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश विधिसम्मत हैं। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत सोनाईलाखा तहसील रोहट के खसरा संख्या 184 रकबा 53.04 बीघा आराजी राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न उपखण्ड अधिकारी रोहट के पत्र क्रमांक/राजस्व/18/1369 दिनांक 03.05.2018 के अनुसार "जिसमें वादग्रस्त आराजी पूर्ण रूप खाली होना मानते हुए उक्त आराजी पूर्ण रूप से खाली होना एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का काई अतिक्रमण नही होना बताया है।" इसके अतिरिक्त हल्का पटवारी डुंगरपुर तहसील रोहट द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार "दिनांक 16.05.2016 की पालना में ग्राम सोनाईलाखा के खसरा संख्या 184 रकबा 53.07 बीघा किस्म बरानी दोयम का दिनांक 06/06/2016 को ग्रामवासियों के साथ मौका देखा गया। मौके पर प्रस्तावित खसरा संख्या 184 पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है व प्रस्तावित खसरा भूमि मौके पर पडत पडी है" की रिर्पोट प्राप्त हुई है जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है एवं मौके पर खाली है। जिसे राजकीय प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व ... प्राधिकारी
पाली

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली